YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री कुलदीप कुमार व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि चूली, सिरोही का स्थानांतरण राउमावि रेवदर सिरोही किया गया। श्री कुलदीप कुमार ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 1264/2020 श्री कुलदीप कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1264/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री कुलदीप कुमार को विभागीय नियमों एवं दिशा निर्देशानुसार निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री कुलदीप कुमार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पुत्री का Diabetes Mellitus Type 1 व हायपोथायराडीज्म जैसे गंभीर रोग से पीड़ीत होने,स्थानान्तरित स्थान मुल निवास स्थान से 700 किमी दूर होने तथा स्थानांतरित स्थान पर राजनीति विज्ञान के 3 प्राध्यापक कार्यरत होने के आधार पर अपना समायोजन राउमावि 15 SPM, श्रीगंगानगर/राउमावि 11 LNP, ख्यालीवाला श्रीगंगानगर/राउमावि 8SDS, श्रीगंगानगर अथवा राउमावि करड़वाला श्रीगंगानगर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। याचिकार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 11.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/या.1264/2020/कुलदीप/2020/18 दिनांकः–03/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर..................................।
5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8.गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर